''और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।''

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 6

इस्लाम और नापतौल

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम और नापतौल

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

अल्लाह तआला पवित्र क़ुरआन में फ़रमाते हैं:

﴿فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا﴾(الاعراف: 85)

''तुम नापतौल पूरा किया करो और लोगों का उनकी चीज़ों में नुक़सान मत किया करो और धरती पर इसके बाद कि सुधार कर दिया गया, दंगा मत करो।'' (बयानुल क़ुरआन)

आयत में 'कैल' का अर्थ नाप और 'मीज़ान' का अर्थ तौलने के हैं और 'बख़्स' का अर्थ किसी के हित में कमी करके हानि पहुंचाने के हैं। आयत का अर्थ यह है कि नापतौल पूरा किया करो और लोगों की चीज़ों में कमी करके उनको हानि न पहुंचाया करो। इसमें पहले तो एक विशेष अपराध से रोका गया जो ख़रीद-फ़रोख़्त के समय नापतौल में कमी के रूप में किया जाता था। बाद में "لاتبخسوا الناس أشياءهم" फ़रमाकर हर प्रकार के अधिकार में कमी-ज़्यादती को आम कर दिया, चाहे वह माल से संबंधित हो या मान-सम्मान से या किसी अन्य चीज़ से।

इससे मालूम हुआ कि जिस तरह नापतौल में अधिकार से कम देना हराम है, उसी तरह अन्य मानवाधिकार में भी कमी

करना हराम है। किसी के मान-सम्मान पर हमला करना या किसी के पद और स्थिति के अनुकूल उसका सम्मान न करना, जिसकी आज्ञा मानना अनिवार्य है, उनकी आज्ञाकारिता में आलस्य करना या जिस व्यक्ति का मान-सम्मान अनिवार्य है, उसमें कमी, यह सब चीज़ें इस्लाम में हराम हैं।

(मआरिफ़ुल क़ुरआन, जिल्द 3, पृष्ठ 623)

﴿اَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَاءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ﴾ (هود: 85)

"तुम नापतौल पूरा किया करो उचित ढंग से और लोगों का उनकी चीज़ों में नुक़सान मत किया करो और धरती पर हिंसा करते हुए हद से आगे मत निकलो।"

आयत में नापतौल की कमी से मूल आश्य यह है कि किसी का जो अधिकार किसी के ज़िम्मे हो उसको पूरा अदा न करे, बल्कि उसमें कमी करे चाहे वह नापने-तौलने की चीज़ हो या कोई अन्य, अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य के निर्वाह में आलस्य करता है, किसी कार्यालय का कर्मचारी या कोई मज़दूर अपने काम के निर्धारित समय में कमी करता है या निर्धारित कार्य करने में कमी करता है (जबकि वह उसका मुआवज़ा या वेतन पूरा लेता है) वह सब निषेध के आदेश में दाख़िल हैं। (मआरिफ़ुल क़ुरआन, जिल्द 4, पृष्ठ 664)

﴿اَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَلَا تَكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُخۡسِرِيۡنَ وَزِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِيۡمِ﴾ (الشعراء: 181)

"तुम लोग पूरा नापा करो और (हक़दार का) नुक़सान मत किया करो और (इसी तरह तौलने की चीज़ों में) सीधी तराज़ू से तौला करो (डंडी न मारा करो, न बाटों में अंतर किया करो)।" (बयानुल क़ुरआन)

आयत का अर्थ यह है कि तराज़ू और इसी तरह अन्य नापतौल के साधनों का सीधा प्रयोग करो जिसमें कमी का ख़तरा न रहे, अर्थात यह आदेश केवल नापतौल के साथ ख़ास नहीं, बल्कि किसी के अधिकार में कमी करना चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, हर स्थिति में हराम है।

(मआरिफ़ुल क़ुरआन, जिल्द 6, पृष्ठ 544)

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ، اَلَّاتَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَاتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ﴾.

(سورۂ الرحمٰن:9, 8, 7)

''और उसी ने आसमान को ऊंचा किया और उसी ने (दुनिया में) तराज़ू रख दी, ताकि तुम तौलने में कमी-बेशी न करो और उचित ढंग से वज़न को ठीक रखो और तौल को घटाओ नहीं।''

तराज़ू के सही प्रयोग का आदेश जो इन आयतों में आया है, इन सब का निचोड़ न्याय स्थापित करना है और किसी के अधिकार के हनन और अत्याचार से बचाना है। चूंकि धरती और आकाश की सृष्टि का मूल उद्देश्य दुनिया में न्याय की स्थापना है और शांति भी न्याय ही के साथ स्थापित रह सकता है वरना दंगा ही दंगा होगा। 'मीज़ान' के अर्थ में हर वह उपकरण दाख़िल है, जिससे किसी चीज़ की मात्रा निर्धारित की जाये चाहे वह दो पल्ले वाली तराज़ू हो या नापने का कोई उपकरण। (मआरिफ़ुल क़ुरआन, जिल्द 8, पृष्ठ 445)

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ﴾ (المطففين:3,2,1)

"बड़ी ख़राबी है नापतौल में कमी करने वालों की कि जब लोगों से (अपना अधिकार) नाप कर लें तो पूरा लें और जब दूसरों को नाप कर या तौल कर दें तो घटा कर दें।"

उपरोक्त आयात की रौशनी में इस्लाम ने नापतौल में कमी करने को हराम क़रार दिया है, क्योंकि आम तौर से लेन-देन के मामले इन्ही दो तरीक़ों से होता है। इन्ही के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि हक़दार का हक़ अदा हुआ या नहीं, लेकिन यह मालूम है कि इससे उद्देश्य हर हक़दार का हक़ पूरा पूरा देना है, इसमें कमी हराम है, तो यह भी मालूम हुआ कि यह केवल नापतौल के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि हर वह चीज़ जिससे किसी का हक़ पूरा करना या न करना जांचा जाता है उसका यही आदेश है, चाहे वह नापतौल द्वारा हो, संख्या द्वारा या किसी अन्य माध्यम से हो, हर एक में हक़दार के हक़ को कम कर देना हराम है। (मआरिफ़ुल क़ुरआन, जिल्द 8, पृष्ठ 693)

इन आयतों द्वारा वास्तव में अपना अधिकार पूरा प्राप्त कर लेना और दूसरे का अधिकार देने में कमी कर लेना इस्लाम में नाजायज़ और हराम बताया गया है। नापतौल के अतिरिक्त भी जहां-जहां किसी को अपना हक़ लेना और दूसरे का हक़ देना है उसके लिये इसी नियम को कसौटी बनाया जाएगा जैसे पति का पत्नी से पूरा हक़ लेना और पत्नी को पूरा हक़ न देना, औलाद का माता-पिता से पूरा हक़ लेना और उनका हक़ पूरा न देना, या कर्मचारी का मालिक से पूरा हक़ लेना और मालिक का हक़ पूरा न देना, याद रखो सब इसी आयत की कसौटी पर परखते हुए नाजायज़ और पाप क़रार दिया जाएगा।

नापतौल से संबंधित हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ निर्देश

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ بِخَمْسٍ، مَا نَقَضَ الْعَهْدَ قَوْمٌ إِلَّا سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ، وَمَا ظَهَرَ فِيْهِمُ الرِّبَاءُ إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الْمَوْتُ، وَلَا طَفَّفُوْا إِلَّا مُنِعُوْا النَّبَاتَ وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَلَا مَنَعُوْا الزَّكَاةَ، إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ. (رواه الحاكم)

''हज़रत अबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अनहुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया पांच पापों की सज़ा पांच चीज़ें हैं: (1) जो लोग वादा तोड़ते हैं अल्लाह तआला उन पर उनके दुश्मन को थोप कर शक्तिशाली बना देता है, (2) जो लोग अल्लाह के नियम को छोड़कर अन्य नियमों पर निर्णय करते हैं उनमें निर्धनता एवं कंगाली आम हो जाती है, (3) जिस समुदाय में सूद आम हो जाता है उनमें मृत्यु की दर अधिक हो जाती है, (4) जो समुदाय नापतौल में कमी करता है अल्लाह तआला उनको अकाल से ग्रस्त कर देता है, (5) जो लोग ज़कात नहीं देते हैं अल्लाह उनसे वर्षा रोक लेता है''।

(मआरिफ़ुल क़ुरआन, जिल्द 8, पृष्ठ 694)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ إِلَّا أَلْقَى اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الرِّبَا فِيْ قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. (رواه مالک موقوفاً)

''हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिन लोगों में विश्वासघात और बेईमानी घर कर लेती है अल्लाह तआला उनके दिलों में दुश्मन का डर और भय डाल देते हैं और जिन लोगों में सूद का रिवाज होजाता है उनमें मृत्यु की दर बढ़ जाती है और जो समुदाय नापतौल में कमी करता है अल्लाह तआला उनकी जीविका रोक देते हैं अर्थात अकाल ग्रस्त कर देते हैं।''

عَنْ أَبِي صَفْوَان سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ؓ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ زِنْ وَأَرْجِحْ. (رواه ابوداؤد والترمذی)

''हज़रत अबू सफ़वान सवीद बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं और मखरमा अलअबदी हजर से कपड़ा लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमसे पैजामों के दाम पूछे और मेरे पास एक वज़न करने वाला था जो उजरत पर तौलता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तौल और झुका कर तौल''

عَنْ جَابِرٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ. (متفق علیه)

''हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक ऊंट ख़रीदा तो आपने उसकी क़ीमत देने के लिये झुकाकर वज़न किया''

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هٰذَا؟ يَا

صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)

''हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अनहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाज के एक ढेर के पास से गुज़रे (जो एक दुकानदार का था) आपने अपना हाथ उस ढेर में दाख़िल कर दिया तो आपकी उंगलियां भीग गईं, तो आपने उस अनाज बेचने वाले दुकानदार से कहा कि (तुम्हारे अनाज में) यह गीलापन क्या है? उसने कहा या रसूलुल्लाह! ग़ल्ले पर बारिश की बूंदें पड़ गई थीं, (तो मैंने ऊपर का भीग जाने वाला अनाज नीचे कर दिया) आपने फ़रमाया, इस भीगे हुए अनाज को तुमने ढेर के ऊपर क्यों नहीं रहने दिया ताकि ख़रीदने वाले लोग इसको देख सकते, (सुन लो!) जिस व्यक्ति ने धोखेबाज़ी की वह हम में से नहीं है।''

इन हदीसों से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है कि इस्लाम ने मामले की सफ़ाई और सच्चाई का बड़ा आदर किया है और विश्वासघात, बेईमानी और धोखा देकर कमाने को नाजायज़ और हराम बताया है, फिर अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कथनों में मुस्लिम या ग़ैर-मुस्लिम की शर्त नहीं है, जिससे मालूम होता है कि विश्वासघात और धोखेबाज़ी इस्लाम में पाप है, चाहे मुसलमान के साथ हो या किसी अन्य धर्म के मानने वाले के साथ हो, पाप हर स्थिति में पाप है।

❑❑